कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1004/ सम्पदा ई–पंजीयन – 96/2015 भोपाल, दिनांक 03.08.2015

प्रति

श्री रमेश एस सिंह,
संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय – सम्पदा ई–पंजीयन के परिप्रेक्ष्य में इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेजों हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सम्पदा ई–पंजीयन के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि बैंकों आदि के पक्ष में निष्पादित इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेजों में अपनायी जाने वाली प्रकिया क्या होगी। उक्त संबंध में निम्नानुसार विधिक विकल्प उपलब्ध हैं –

1. पहला विकल्प यह होगा कि इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेज को सम्पदा एप्लीकेशन के अन्तर्गत तैयार कर उसका ई–पंजीयन करा लिया जाए। ऐसी स्थिति में दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का भुगतान ई–स्टाम्पिंग द्वारा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद–तीन (ण) के अनुसार इक्वीटेबल मॉर्टगेज से संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री हेतु मात्र 1,000 रूपए रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित की गयी है। उक्त रजिस्ट्रीकरण फीस भी सम्पदा से ऑनलाईन भुगतान की जा सकती है।

2. दूसरा विकल्प यह है कि इक्वीटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेज को सादे कागज पर लिख कर उस पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की राशि चालान से संबंधित बैंक में जमा कर दस्तावेज पर उप पंजीयक का तदाशय का प्रमाण पत्र अंकित करा लिया जाए अथवा उक्त राशि फ्रैंक करा ली जाए और तत्पश्चात् दस्तावेज से संबंधित घोषणा–पत्र विधिक प्रावधानों के अनुरूप उप पंजीयक कार्यालय में फाईल कर दिया जाए। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में विभाग द्वारा फ्रैंकिंग मशीनें उपलब्ध करायी गयी हैं।

कृपया उपर्युक्त संबंध में सभी बैंकर्स को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

03/08/15

(डॉ0 श्रीकान्त पाण्डेय)
उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

निरन्तर 2

पृष्ठांकन कमांक 1005/ सम्पदा ई–पंजीयन – 96 / 2015 भोपाल, दिनांक 03.08.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त–सह–विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश।
6. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई।

03/08/15

उप महानिरीक्षक पंजीयन
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।